प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध शासकीय अनुदानित संस्था

जनता पॉलीटेक्निक, जहाँगीराबाद

भईपुर (बुलन्दशहर) उ0प्र0, 202391

☎ 05734-260205

E-mail: jpjahangirabad@gmail.com

विवरणिका

मूल्य रू0 200/-

अहस्तान्तरणीय

स्थापना वर्ष - 1986

राष्ट्र निर्माण सहायक समिति

नई बस्ती अहार बाईपास मार्ग, जहाँगीराबाद

बुलन्दशहर (उ0प्र0), 202394 ☎ (05734) 260205

द्वारा संचालित

visit us at : www.jantapolytechnic.in

www.jantapolytechnic.org

संस्था की प्रबन्ध समिति का विवरण

क्र.स.	विभाग/स्रोत	नामित सदस्य का नाम	पद	पदनाम
(अ)	राष्ट्र निर्माण सहायक समिति द्वारा नामित 5 सदस्य	1. श्री सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल	सदस्य राष्ट्र निर्माण सहायक समिति	अध्यक्ष
		2. श्री मामचन्द अग्रवाल	सदस्य राष्ट्र निर्माण सहायक समिति	सदस्य
		3. श्री श्रीचन्द अग्रवाल	सदस्य राष्ट्र निर्माण सहायक समिति	सदस्य
		4. श्री निर्मल गर्ग	सदस्य राष्ट्र निर्माण सहायक समिति	सदस्य
		5. श्री मुकेश कुमार	सदस्य राष्ट्र निर्माण सहायक समिति	सदस्य
(ब)	प्रधानाचार्य	6. श्री वरूण दत्त शर्मा	प्रधानाचार्य	सदस्य सचिव
(स)	निदेशक प्राविधिक शिक्षा उ0प्र0 द्वारा नामित प्रतिनिधि	7. श्री एस0एस0 राम	संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा पश्चिमी क्षेत्र, दौराला (मेरठ)	सदस्य
(द)	सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 अथवा प्रतिनिधि	8. श्री सुरेन्द्र प्रसाद	सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0	पदेन सदस्य
(य)	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद भारत सरकार द्वारा नामित दो सदस्य	9. श्री	पूर्व प्रधानाचार्य अ0मु0 वि0वि0 अलीगढ़	पदेन सदस्य
		10. श्री	बोर्ड ऑफ एप्रेन्टिशिप ट्रेनिंग	पदेन सदस्य
(र)	मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग अथवा प्रतिनिधि	11. श्री	अधीक्षण अभियन्ता (बुलन्दशहर)	पदेन सदस्य
(ल)	राज्य सरकार द्वारा नामित 01 सदस्य	12. श्री		पदेन सदस्य
(व)	सहायक शिक्षा सलाहकार (टेक्निकल) मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय अथवा प्रतिनिधि	13. डा0 मौहम्मद अली	प्रतिनिधि क्षेत्रीय कार्यालय ए0आई0सी0टी0ई0 कानपुर	सदस्य
(श)	संस्था के वरिष्ठ अध्यापक दो प्रतिनिधि	14. श्री आर0के0 सिंह	विभागाध्यक्ष फार्मेसी	सदस्य
		श्री नरेश बंसल	विभागाध्यक्ष इल0	सदस्य

जनता पॉलीटेक्निक, जहाँगीराबाद

संक्षिप्त परिचय

जनपद में, बुलन्दशहर से अनूपशहर मार्ग पर, जिला मुख्यालय से 25 कि०मी० दूरी पर स्थित लगभग 70 हजार की जनसंख्या को समाहित किये हुये, नगर जहाँगीराबाद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है।

वर्ष 1958 में, स्व० श्री शिवकुमार अग्रवाल (संस्थापक अध्यक्ष) के नेतृत्व में, नगर के कुछ उत्साही नवयुवकों ने मानव सेवा का व्रत लेकर शैक्षिक, औद्योगिक, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने एवं उनके सुचारू संचालन के लिए, उ०प्र० सोसाइटीज एक्ट 1860 के अर्न्तगत राष्ट्र निर्माण सहायक समिति का पंजीकरण कराया।

मानव सेवा के संकल्प के साथ समिति क्रमानुसार निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना की गई -

- शिशु भारती
- शिशु भारती जूनियर पब्लिक स्कूल
- महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय
- निर्धन छात्रों के लिये आदर्श पाठशाला
- शिव कुमार अग्रवाल जनता इण्टर कॉलिज जो कि वर्तमान में एक विशाल वटवृक्ष के समान है जिसने अपनी सहृदयता का परिचय देते हुये राजकीय महाविद्यालय एवं बाबू बनारसी दास इंजी० कॉलेज को भी स्थान दिया था।
- **जनता पॉलीटेक्निक, जहाँगीराबाद-**

नगर में तकनीकी शिक्षा के प्रसार हेतु 12 अगस्त 1986 को उ०प्र० शासन द्वारा **जनता पॉलीटेक्निक, जहाँगीराबाद, की स्थापना की घोषणा की गई।** यह संस्था उ०प्र० शासन की अनुदानित संस्था है। समिति एवं शासन के अनुबन्ध के अनुसार, आवश्यकतानुसार भूमि एवं भवन उपलब्ध कराने का दायित्व समिति का तथा वेतन एवं अन्य साजो-सामान का दायित्व शासन का रखा गया है। समिति ने लगभग 70 बीघा भूमि पर लगभग रू० 30 लाख की लागत से 25 हजार वर्ग फीट पर लैन्टर डालकर आर्कषक भवन का निर्माण कराया, जिसका भव्य उद्घाटन 3 अगस्त 1989 को तत्कालीन **माननीय मुख्यमन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी** उ०प्र० सरकार ने किया।

उक्त सभी कार्यों के लिये समिति पूर्ण रूप से समर्पित है। मुख्य रूप से निर्माण कार्यों के लिये धन की अत्यन्त आवश्यकता होती है, अतः नैतिक रूप से हम सभी का दायित्व है कि जिस समाज, राष्ट्र व पूर्वजों ने हमें कुछ दिया है, हम भी उस समाज व राष्ट्र की प्रगति में सहायक बनें और ऐसे सत्कार्यों में तन-मन-धन से सहयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनायें। समाज के प्रत्येक दानी महानुभावों से सहयोग लेकर, समाज निर्माण हेतु कुछ करने की उच्च आकांक्षा समिति अपने हृदय में संजोये हुए है।

विद्या ददाति विनयं

// प्रशिक्षक वर्ग //

श्री वरुण दत्त शर्मा	एम0फार्मा0	प्रधानाचार्य

फार्मेसी विभाग

शिक्षक वर्ग

1. श्री राजेन्द्र कुमार सिंह	बी0फार्मा0/पी0जी0डी0बी0एम0	विभागाध्यक्ष
2. श्रीमती मंजू बंसल	एम0एस0सी0/बी0एड0	व्याख्याता रसायन
3. श्री सुधीर कुमार पाण्डे	बी0फार्मा0	व्याख्याता फार्मेसी
4. श्री अनिल कुमार	बी0फार्मा0	व्याख्याता फार्मेसी
5 श्री एस0डी0डी0 कौशिक	बी0फार्मा0	व्याख्याता फार्मेसी
6. श्री प्रेम कुमार	बी0फार्मा0	व्याख्याता फार्मेसी

शिक्षण सहायक वर्ग

1. श्री बृजराज सिंह राजपूत	एम0एससी0 (गणित) /पी0जी0डी0ई0ई0	प्रयोगशाला सहायक
2. श्री अजय कुमार	बी0एस0सी0/बी0एड0	प्रयोगशाला सहायक
3. श्री प्रमोद कुमार	डी0 फार्मा0	प्रयोगशाला सहायक

मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस विभाग

शिक्षक वर्ग

1. श्री (डा0) वाजिद अली	डिप0एस0एस0पी0/ एम0काम0/ पी-एचडी0	विभाग प्रभारी
2. श्री राकेश कुमार त्यागी	एम0ए0/एम0फिल0 (अंग्रेजी)	व्याख्याता अंग्रेजी
3. श्री अवधेश कुमार पोरवाल	डिप0एस0एस0पी0	अनुदेशक स्टे0सै0प्रे0
4. पद रिक्त	----------	अनुदेशक स्टे0सै0प्रे0
5. पद रिक्त	----------	अनुदेशक भाषा

शिक्षण सहायक वर्ग

1. श्री काशी प्रसाद	आई0टी0आई0	टाईप मैकेनिक

इलैक्ट्रॉनिक्स इंजी विभाग

शिक्षक वर्ग

1. श्री नरेश बंसल	बी0ई0	विभागाध्यक्ष
2. श्री (डा0) भुल्लन सिंह	एम0एस0सी0/पी0एच0डी0	व्या0 भौतिकी
3. श्री विमल कुमार शर्मा	बी0ई0	व्या0 इलैक्ट्रिकल
4. पद रिक्त	----------	व्या0 इलैक्ट्रानिक्स

5. पद रिक्त	---------	व्या0 इलैक्ट्रानिक्स
6. श्री सत्येन्द्र सिंह	एम0एससी0/बी0एड0	व्या0 गणित

प्रशिक्षक वर्ग

1. श्री सैनपाल	बी0ए0, आई0टी0आई0	अनुदेशक फिटिंग
2. श्री सुखपाल सिंह	डिप्लोमा एडवाँस वुड वर्किंग	अनुदेशक कारपेन्ट्री
3. पद रिक्त	----------	अनुदेशक पेन्टिंग एण्ड शीट मेटल

कार्यालय

लिपिक वर्ग

1. श्री राम आसरे	इण्टरमीडिएट	वरिष्ठ सहायक
2. श्री संदीप कुमार	डिप0एस0एस0पी0	स्टैनो
3. श्री राजेश कुमार	एम0ए0, एम0लिब0, एम0 फिल0 (पुस्तकालय विज्ञान)	लाइब्रेरीयन
4. श्री हरिओम शंकर शुक्ल	इण्टरमीडिएट	लिपिक
5. श्री महेन्द्र कुमार गोयल	एम0काम0	लिपिक
6. श्री सुरेश सिंह यादव	बी0ए0	लिपिक
7. श्रीमति चित्रा देवी	बी0ए0	लिपिक

चतुर्थ श्रेणी वर्ग

1. श्री जितेन्द्र कुमार	दफ्तरी
2. श्री अशोक कुमार	
3. श्री जयप्रकाश	
4. श्री राम प्रसाद	
5. श्री गंगावासी	
6. श्री वीरेन्द्र कुमार	
7. श्री शिवपाल	
8. श्री प्रेमशंकर	
9. श्री मोती सिंह बाछल	
10. श्री मुकेश कुमार	
11. श्री सुरेन्द्र सिंह राघव	
12. श्री सूरज	
13. श्री नित्तरपाल	
14. श्रीमति राजकुमारी	

उपलब्ध पाठ्यक्रम

फार्मेसी

इस पाठ्यक्रम की शिक्षा एक रोजगारपरक शिक्षा है। इसमें रोजगार की असीम सम्भावनायें हैं। डिप्लोमा फार्मेसी करने के उपरान्त छात्र/छात्राएं औषधि की दुकान के रूप में अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। औषधि कम्पनियों के प्रतिनिधि व सेल्स मैनेजर के रूप में कैरियर चुन सकते हैं। सरकारी, गैर सरकारी चिकित्सालयों में फार्मासिस्ट के रूप में सेवा कर सकते हैं। कोस्मैटिक औषधि (सौन्दर्य प्रसाधन औषधि) का निर्माण कर सकते हैं।

अवधि दो वर्ष

अर्हता इण्टरमीडिएट फिजिक्स, कैमिस्ट्री एवं जीव विज्ञान/गणित के साथ 50% अंकों सहित।

प्रवेश क्षमता 40 (60 प्रस्तावित)

प्रवेश माध्यम संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा

मान्यता प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा एवं भारतीय भेषजी परिषद नई दिल्ली द्वारा

मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस

इस पाठ्यक्रम में कैरियर निर्माण के अनेक अवसर हैं। पार्लियामेन्ट रिपोटर से लेकर स्टैनो टाइपिस्ट तक अनेक पद सचिवालयों, सरकारी, अर्धसरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों, छोटी-बड़ी कम्पनियों एवं अनेक उद्योगों तथा अन्य संस्थानों में आशुलिपिक, स्टैनो टाईपिस्ट, सहायक सचिव, निजी सचिव, व्यक्तिक सहायक, स्वागती आदि पदों पर नियुक्ति की जाती है।

डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के पश्चात रोजगार के निम्न अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

पदनाम

1- पार्लियामेन्ट / राज्य सभा रिपोर्टर
2- विधान सभा रिपोर्टर
3- व्याख्यात आशुलिपिक
4- सहायक निदेशक (हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि)
5- प्रशिक्षण अधिकारी
6- व्यक्तिक सहायक सचिवालय/लोक सेवा आयोग।
7- प्रवक्ता आशुलिपि प्रा0 शि0 विभाग
8- वरिष्ठ आशुलिपिक न्यायालय
9- आशुलिपिक प्रा0शि0 विभाग
10- आशुलिपिक अन्य संस्थान/विभाग
11- टाइपिस्ट/क्लर्क/स्वागती आदि

तथा अन्य बैंकों, कम्पनियों व उद्योगों में अनेकों रोजगार के पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं।
अवधि - दो वर्ष, **अर्हता** - इण्टरमीडिएट या समकक्ष (हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय अनिवार्य हैं)

प्रवेश क्षमता	प्रथम पाली 60 + 60 द्वितीय पाली = 120
प्रवेश माध्यम	संयुक्त प्रवेश परीक्षा, परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा
मान्यता	प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा।

इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग

इस पाठ्यक्रम की शिक्षा पूर्णतया तकनीकी शिक्षा है। इसमें वर्तमान एवं भविष्य में रोजगार प्राप्त करने की असीम सम्भावनायें हैं। इस पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त छात्र/छात्राएं विभिन्न क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाईयों मे Quality Controler, Supervisor, Junior Engineer, Service Engineer आदि में अपना Career चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेबलाइजर-कम-चार्जर, इन्वर्टर, रेग्यूलेटर पावर सप्लाई एवं विभिन्न Technical Institution में प्रयोगात्मक किटों के निर्माण हेतु अपने स्वतः रोजगार, लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों जैसे - Army / Airforce / Nevy / Railway / Tele-Communication Deptt., BEL, BHEL आदि में Technical Supervisor एवं Junior Engineer के रूप में सेवा कर सकते हैं।

अवधि - तीन वर्ष,	**अर्हता**- हाईस्कूल (विज्ञान एवं गणित के साथ)
प्रवेश क्षमता	प्रथम पाली 60 + 60 द्वितीय पाली = 120
प्रवेश माध्यम	संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा
मान्यता	प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा

कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग -

(स्ववित्त पोषित) इस पाठ्यक्रम की शिक्षा पूर्णतया तकनीकी शिक्षा है। इसमें वर्तमान एवं भविष्य में रोजगार प्राप्त करने की असीम सम्भावनायें हैं। इस पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त छात्र/छात्राऐं विभिन्न क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों में जू0 इंजी0, सर्विस इंजी0, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कम्प्यूटर इंजी0 के रूप में पद प्राप्त कर सकते हैं। एवं अन्य सरकारी विभागों में अपना भविष्य चुन सकते हैं।
अवधि - तीन वर्ष, **अर्हता** - हाईस्कूल (विज्ञान एवं गणित वर्ग के साथ)
प्रवेश क्षमता - 60
प्रवेश माध्यम - संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उ0प्र0 लखनऊ द्वारा मान्यता प्राप्त।
मान्यता - प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा

उद्यमिता विकास कार्यक्रम

संस्था के अन्तिम वर्ष के छात्रों में स्वरोजगार स्थापना की भावना जाग्रत करने के उद्देश्य से, दो से तीन दिवसीय उद्यमिता जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाता है। सामान्यतः ये शिविर माह मार्च के अंतिम सप्ताह में आयोजित किये जाते हैं। विभिन्न बैंकों, निदेशालय, खादी ग्रामोद्योग मेरठ, बोर्ड ऑफ एप्रेंटिंसशिप ट्रेनिंग कानपुर, उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद लखनऊ आदि के माध्यम से उक्त कार्यक्रम किये जाते हैं।

संस्थान की विशेषतायें

पुस्तकालय

संस्थान के पुस्तकालय में लगभग 6000 पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में विश्व में नवीनतम तकनीकी अन्वेषणों के ज्ञान हेतु लगभग 10 जर्नल्स संस्था में मँगाये जाते हैं तथा छात्रों के सामान्य ज्ञानवर्धन हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं से संबन्धित पत्रिकायें तथा समाचार पत्र हिन्दी/अंग्रेजी के भी मंगाये जाते हैं। अनुसूचित जाति/निर्धन छात्रों हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा भी 1000 पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं। निर्धन विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध करने के उद्देश्य से अलग से ग्रन्थगार की स्थापना कराई गयी है।

विद्यालय पत्रिका

सामान्यत: प्रत्येक दो से तीन वर्ष में संस्था पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसके माध्यम से छात्रो को विचार अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है एंव संस्था की प्रगति, आवश्यकतायें एंव अपेक्षायें भी समाज तक पहुँचती है।

छात्रावास

छात्रों के लिये : संस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रो हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा संस्था के निकट ही छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो कि पूर्णतया नि: शुल्क सुविधा है।

छात्राओं के लिये : छात्राओं को संस्था का मातृ सोसाइटी द्वारा सशुल्क छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

प्राथमिक चिकित्सा

संस्थान के फार्मेसी संकाय के फार्माकोलोजी विभाग द्वारा जनसमुदाय को आवश्यकता पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध कराई जाती है।

औषधि उद्यान

संस्था के फार्मेसी संकाय के फार्माकोगनोसी विभाग द्वारा औषधि उद्यान का रखरखाव किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत उद्यान में लगे पेड़ पौधों के औषधि गुणों की जानकारी छात्रों/आगन्तुकों को मिलती है तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है।

छात्रवृत्तियाँ

1. प्रतिरक्षा कर्मचारियो के पाल्यों को राज्य सरकार द्वारा नियम के अन्तर्गत छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है।
2. समाज कल्याण विभाग पिछड़ा कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्गों के छात्र

एवं छात्राओं को नियमानुसार शुल्क वापसी छात्रवृत्तियाँ प्रतिमाह की दर से दी जाती हैं।

पेथोलोजी एवं क्लीनिक/जांच

फार्मेसी संकाय द्वारा खून, वीर्य, मूत्र, बलगम आदि की जांच की जाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

संस्था के फार्मेसी संकाय द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं चिकित्सा विभाग द्वारा प्रायोजित अन्य कार्यक्रमों एवं शिविरों में भी सहयोग प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण

राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण प्रदर्शनी व जागरूकता शिविरों का भी आयोजन फार्मेसी संकाय द्वारा किया जाता है।

संस्थान गणवेश

प्रत्येक छात्र एवं छात्रा को संस्थान गणवेश में आना अनिवार्य है। फार्मेसी संकाय में प्रयोगशाला में कार्य करते समय सफेद डाक्टर कोट/एप्रिन एवं इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के वर्कशॉप में कार्य करते समय नीला एप्रिन आश्वयक है। विभागानुसार गणवेश निम्नलिखित है -

विभाग	ग्रीष्मकालीन		शीतकालीन	
फार्मेसी	छात्र सफेद शर्ट स्टील ग्रे पैंट काले जूते स्टील ग्रे मौजे लाल टाई	छात्राएं सफेद सलवार सूट सफेद मौजे पी०टी० शूज दुपट्टा सफेद	छात्र स्टील ग्रे स्वेटर ब्लू ब्लेजर या ब्लू जैकेट	छात्राएं स्टील ग्रे स्वेटर ब्लू ब्लेजर या ब्लू जैकेट
इलैक्ट्रानिक्स अभि०	सफेद शर्ट काली पैंट काले जूते सफेद मौजे काली टाई	सफेद सलवार सूट सफेद मौजे पी०टी० शूज दुपट्टा सफेद	स्टील ग्रे स्वेटर ब्लू ब्लेजर या ब्लू जैकेट	स्टील ग्रे स्वेटर ब्लू ब्लेजर या ब्लू जैकेट
एम०ओ०/ एम०एस०पी०	सफेद शर्ट नेवी ब्लू पैंट काले जूते नेवी ब्लू मौजे नेवी ब्लू टाई	सफेद सलवार सूट सफेद मौजे पी०टी० शूज दुपट्टा सफेद	स्टील ग्रे स्वेटर ब्लू ब्लेजर या ब्लू जैकेट	स्टील ग्रे स्वेटर ब्लू ब्लेजर या ब्लू जैकेट
कम्प्यूटर साइंस एण्ड अभि०	सफेद शर्ट स्मोक-ग्रे पैंट काले मौजे स्मोक-ग्रे टाई	स्मोक-ग्रे कुर्ता सफेद सलवार सफेद मौजे सफेद पी०टी० शूज दुपट्टा सफेद	स्मोक-ग्रे स्वेटर/ ब्लेजर/ जैकेट	स्मोक-ग्रे स्वेटर/ ब्लेजर/ जैकेट

पाठ्येत्तर गतिविधियाँ

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण के लिए कर्मठ, देशभक्त, सहनशील, स्वस्थ, चपल, आत्मनिर्भर, अनुशासित, धर्मनिरपेक्ष, निःस्वार्थ सेवा भाव से ओतप्रोत नवयुवकों की आवश्यकता को देखते हुए संस्था में राष्ट्रीय छात्र सेना का गठन किया गया है। कुल 54 छात्रों की सदस्यता के प्रावधान वाली इस सेना का संचालन 41 वी0 वाहिनी राष्ट्रीय छात्र सेना, बुलन्दशहर द्वारा किया जाता है मिलिट्री ट्रेनिंग, निशानेबाजी, शस्त्र प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास, पर्वतारोहण एवं साहसिक क्रियाकलाप आदि प्रशिक्षण के मुख्य अंग हैं। बी एवं सी प्रमाण पत्र धारक कैडेटों को सेना सहित अन्य सेवाओं में चयन हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। गत वर्षों में छात्रों ने प्रदेश स्तर की निशानेबाजी की प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

संस्था में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में राष्ट्रीयता एवं देश सेवा की भावना जागृत करने के उद्देश्य हेतु सेवा योजना के अर्न्तगत 100 छात्रों/छात्राओं को ग्रामीण विकास के कार्यों में लगाकर समाज उपयोगी कार्य कराये जाते हैं।

खेलकूद

वर्षभर क्रीडा एवं खेलकूद की गतिविधियाँ चलती हैं। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन सामान्यतः दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में होता है। विजेता खिलाड़ियों को क्षेत्रीय स्तर/प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताओं में सम्मिलित किया जाता है। वार्षिक समारोह में विजेताओं के पुरस्कृत किया जाता है।

शैक्षिक भ्रमण

अध्ययन के दौरान छात्र/छात्राओं को सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ सम्बन्धित पाठ्यक्रम के व्यवहारिक ज्ञान वर्धन के लिये निकट के उद्योगों का भ्रमण कराया जाता है तथा **विषय-विशेषज्ञों** को अतिथि के रूप में आमन्त्रित करके उनके **व्याख्यान** कराये जाते हैं।

संस्था उद्योग अंर्तसम्बन्ध प्रकोष्ठ एवं प्लेसमेन्ट प्रकोष्ठ -

प्रत्येक वर्ष वार्षिक परीक्षाओं के उपरान्त, ग्रीष्मावकाश की अवधि में छात्र/छात्राओं को निकट के उद्योगों में **प्रेक्टिकल ट्रेनिंग** कराने के उद्देश्य से इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। उत्तीर्ण होने के पश्चात छात्र/छात्राओं को रोजगार प्राप्त करने में भी यह प्रकोष्ठ सहायक है। संस्था के उत्तीर्ण, छात्र/छात्राओं के बायोडाटा का रख रखाव इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है ताकि उद्योगपतियों की माँग पर अभ्यर्थी उपलब्ध कराये जा सकें। यह भी प्रयास किया जाता है कि छात्र/छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उद्योगपतियों को संस्था में आमन्त्रित कर **प्राँगण साक्षात्कार कराये** जायें। अतः छात्र/छात्राओं के हित में सुझाव है कि उत्तीर्ण होने के पश्चात वह अपना बायोडाटा इस प्रकोष्ठ में उपलब्ध करायें तथा रोजगार प्राप्त कर चुके पुरातन छात्रों से भी अपेक्षा है कि संस्था के अभिलेखों हेतु

वे अपने नियोजन की स्थिति से संस्था को अवगत कराते रहें। तथा संस्था के उत्तीर्ण अन्य छात्र/छात्राओं को भी रोजगार दिलाने/स्वरोजगार स्थापित कराने में सहायक बनें।

साहित्यिक/सास्कृतिक कार्यक्रम

संस्थान में वर्षभर वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन, चित्रकला, उत्सव, नाटक, राष्ट्रीय पर्व राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर लेख तथा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आदि आयोजित होती हैं।

गृह परीक्षायें

गृह परीक्षायें बहुत ही अनुशासनात्मक ढंग से सम्पन्न कराई जाती है। उत्तर पुस्तिका से छात्र/छात्रा के नाम की स्लिप हटा कर उत्तर पुस्तिका पर कोड अनुक्रमांक प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात उसका मूल्यांकन होता है। इस अवस्था में किसी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं है। समस्त पाठ्यक्रमों में प्राविधिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 के नियमों के अनुसार मासिक टैस्ट/अर्धवार्षिक परीक्षायें संस्था स्तर पर तथा वार्षिक परीक्षायें परिषद द्वारा सम्पन्न करायी जाती हैं। मासिक टेस्ट/ अर्धवार्षिक परीक्षा तथा सैत्रिक परीक्षाओं के अंक, परिषद के नियमानुसार वार्षिक परीक्षाफल में जोड़े जाते हैं।

आरक्षण

विद्यालय में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा नवीन प्रवेश में आरक्षण नवीनतम शासनादेश के अनुसार किया जाता है। आरक्षित कोटे के अर्न्तगत प्रवेश पाने वाले छात्रों को सुसंगत शासनादेशों के अर्न्तगत जाति प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

छात्रों के लिए नियम एवं निर्देश

1. संस्थान का सामान्य समय प्रातः 9.30 से 4.30 बजे तक होगा। प्रबन्ध समिति इसमें परिवर्तन कर सकती है। प्रथम पाली की कक्षा प्रातः 7 बजे से तथा द्वितीय पाली 2 बजे दोपहर से प्रारम्भ होगी।
2. प्रत्येक छात्र/छात्रा को विद्यालय गणवेश में आना अनिवार्य है।
3. पढ़ाई के समय छात्र/छात्रा पानी पीने अथवा लघुशंका या अन्य आवश्यक कार्य हेतु पूर्वानुमति बिना कक्ष से बाहर न जायें।
4. किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता दण्डनीय है। अनुशासन समिति की संस्तुति के अनुसार संस्तुत दण्ड के अतिरिक्त अनुशासन के अंक भी काटे जायेंगें।
5. शिक्षण कार्य विभाग प्रभारी द्वारा निर्मित समय सारिणी के अनुसार होगा।
6. खाली घंटों में छात्र अपनी कक्षा में बैठकर अथवा पुस्तकालय में स्वाध्याय करें।
7. छात्र को साथ में आवश्यक पाठ्य पुस्तकें एवं पाठ्य सामग्री समय सारिणी के अनुसार प्रतिदिन लाना अनिवार्य है।
8. संस्था परिसर में परिचय पत्र रखना आवश्यक है।
9. संस्था की सम्पत्ति, भवन, फर्नीचर, बिजली, पंखा, पानी की टोंटी, बगीचा, प्रयोगशाला उपकरण, मशीनें, पुस्तक आदि का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। इनको क्षति पहुँचाना दण्डनीय है।
10. छात्र संस्था में भाईचारा बनायें रखें। जाति, धर्म, सम्प्रदाय के आधार पर अशिष्ट व्यवहार दण्डनीय है तथा **रैंगिग करना भी दण्डनीय है।**
11. संस्था के द्वार एवं दुकानों पर एकत्रित होना वर्जित है।
12. छात्र/छात्रा विद्यालय परिसर में स्वच्छता बनाये रखें।
13. संस्था परिसर में साइकिल/स्कूटर पर चढ़कर न चलें एवं निर्धारित स्थल पर पार्किंग करें।
14. विद्यार्थी की प्रत्येक विषय में न्यूनतम 80 प्रतिशात उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होना सम्भव नहीं होगा।
15. लगातार दस दिन संस्था से अनुपस्थित होने पर विद्यार्थी का नाम संस्था से प्रथक कर दिया जायेगा। विद्यार्थी के अभिभावक के अनुरोध पर पुनः प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।

अनुशासन/खेलकूद/एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश

संस्था में समस्त छात्र/छात्राओं को अनुशासन में रहना होगा। संस्था के समस्त अध्यापकों, कर्मचारियों तथा छात्र/छात्राओं के साथ विनम्र व्यवहार एवं सन्तोषजनक आचरण करना होगा। जो छात्र/छात्राऐं अनुशासनहीनता करते पाये जायेंगें उनके अनुशासन के अंक काटे जायेंगें तथा ऐसे छात्र/छात्राओ को संस्था से निष्कासित भी किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अनुशासन समिति का निर्णय अन्तिम होगा। सन्तोषजनक आचरण में अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दु भी शामिल हैं -

1. समस्त छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन निर्धारित गणवेश में आना अनिवार्य होगा।
2. सभी छात्र/छात्राओं को एन0सी0सी0/गेम्स/क्रीडा/एन0एस0एस0 स्थल विकास कार्य/कैम्प में भाग लेना अनिवार्य है।
3. सभी छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय पर्वों पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
4. सभी छात्र/छात्राओं को कक्षाओं/प्रयोगशालाओं में निर्धारित सामग्री एवं अभिलेखों के साथ उपस्थित होना होगा।
5. समस्त छात्र/छात्राओं को अध्यापकों के आदेश/निर्देशों को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करना होगा।
6. एन0सी0सी0 परेड दिवसों में प्रत्येक कैडेट को एन0सी0सी0 ड्रेस में उपस्थित होना होगा।
7. संस्था में समय-समय पर लागू अनुशासन सम्बन्धी नियमों एवं अध्यापकों/विभागाध्यक्ष /प्रधानाचार्य द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा।
8. सभी छात्र/छात्राओं को सांस्कृतिक कार्यक्रमों/पाठ्येत्तर गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक है।
9. सामाजिक एवं उपयोगी उत्पादक क्रियाकलापों में समस्त छात्र/छात्राओं को भाग लेना आवश्यक होगा।
10. शैक्षिक भ्रमणों (संस्था द्वारा आयोजित) में सभी छात्र/छात्राओं को भाग लेना आवश्यक है।
11. सभी छात्र/छात्राओं को कक्षाओं तथा प्रयोगशालाओं में समयबद्ध एवं नियमित रूप से उपस्थित होना होगा। जो छात्र/छात्रा कक्षाओं में अनियमित रहेंगें अथवा समय से उपस्थित नहीं होंगें अथवा कक्षाओं का बहिष्कार करेंगें उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
12. पूर्वानुमति के बिना लगातार 10 दिनों से अधिक दिनों तक कक्षाओं से अनुपस्थित होने पर छात्र/छात्राओं के नाम काटे जायेंगें।
13. प्राविधिक शिक्षा परिषद/प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के नियमों/समय-समय पर जारी आदेशों का पालन करना जरूरी होगा।
14. समस्त छात्र/छात्रा अपना प्रयोगात्मक कार्य पूर्ण कर, समय से कार्य का निरीक्षण सम्बन्धित अध्यापक को करायेंगें।
15. सभी छात्र/छात्राओं को विभागीय सैत्रिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना जरूरी होगा।
16. परिषद के नियमों के अनुसार मानक से कम उपस्थिति रहने के कारण दोषी छात्र/छात्राओं को वार्षिक परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।
17. छात्रों/छात्राओं द्वारा संस्था परिसर में मोबाइल/पेजर का लाना एवं प्रयोग पूर्णतया वर्जित है।

संस्था पुस्तकालय के नियम

1. सामान्य नियम

- ग्रन्थालय अध्ययन/चिन्तन तथा मनन करने का स्थान है अतः यहाँ पर पूर्ण शान्ति बनाये रखना आवश्यक है। ग्रन्थालय/पुस्तकालय में सोना, अनावश्यक बात-चीत करना तथा ऊँची आवाज में वार्तालाप वर्जित है।
- पुस्तकालय की किसी भी पुस्तक/जनरल आदि पर लिखना अथवा उसको क्षति पहुँचाना वर्जित है। पुस्तकालय के अन्दर व्यक्तिगत डिब्बे, हैण्ड बैग, छाता, ब्रीफकेस आदि लाना वर्जित है।
- पुस्तकालय-अध्यक्ष को अधिकार है कि अभद्रता अथवा अशोभनीय व्यवहार/अनुशासनहीनता करने पर वह सम्बन्धित व्यक्ति को पुस्तकालय के बाहर निकाल दें।

2. पुस्तकालय की कार्यविधि

पुस्तकालय रविवार, प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त सामान्यतया प्रातः 9.30 बजे से सायं 4.30 बजे तक खुलेगा।

3. सदस्यता

- पुस्तकालय की सदस्यता निःशुल्क है तथा संस्था में कार्यरत प्रत्येक अध्यापक एवं स्टॉफ तथा संस्था में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें पुस्तकालय की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।
- बाह्य व्यक्ति/संस्थायें औचित्यपूर्ण कारण प्रस्तुत कर प्रधानाचार्य से पूर्व अनुमति प्राप्त कर पुस्तकालय ग्रन्थों का उपयोग कर सकते हैं।

4. पुस्तक निर्गमन के नियम

निम्नलिखित श्रेणी के अनुसार पुस्तकालय के सदस्य पुस्कालय से पुस्तक आदि निर्गत करा सकते हैं।